

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उप जिला कलेक्टर

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

मुकाम

बांदीकुई

नाम बनाम
रामधारी मोहनलाल

मुकदमा नं० सन्
शाखत प्यावा 128 88 2017

| | |
|-----------------------------------|---|
| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-----------------------------------|---|

12-12-17 पत्रावली 1250 कायदा निकाय
ने पेश की शाखत पत्रा
रजिस्टर बिना लाकर मोदी जी
रजुव आव की लाकर पत्रावली 12-1-18
को पेश हो

**उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)**

2268
13/14/17
MS

12-1-18 पत्रावली पेश की 1 अक्टोबर प्राकीर्ण
उप्य जवाब शाखत पत्रावली 1 अक्टोबर प्राकीर्ण
मोहनलाल की मोदी से पत्रावली 1 अक्टोबर प्राकीर्ण
साथ प्रिन्को 16-3-18 को पेश हो

**उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)**

16-3-18 पत्रावली पेश की अक्टोबर प्राकीर्ण
उप्य अक्टोबर प्राकीर्ण को प्रिन्को 16-3-18
को पेश हो प्रिन्को 16-3-18 को पेश हो
उप्य अक्टोबर प्राकीर्ण को प्रिन्को 16-3-18 को पेश हो

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
88/2017

नम्बर
अहक
हुकम
में जा

लक्ष्मीलाल बसव को अरेडना
दिया जाता है कि दोनो पक्षों की
बीच दलील प्रस्तुत करके अदालत
नम 97 द्वारा 88 एवं अदालत
नम 115 द्वारा 103 के अंतर्गत
शुद्ध लक्ष्मीलाल बसव
की सिपमातुल्य परामर्श
करके पक्षों के बीच सिपमातुल्य
दिया जाते है अरेडना प्रथम
जाते है पालक हेतु लक्ष्मीलाल
बसव को लक्ष्मीलाल जमीनी दलील
परामर्श करके अदालत नम 97 द्वारा

हुकम करके अरेडना
नादीकुई (दोसा)